

तारीख हुकम	न्यायालय उपायद अधिकारी पदेन सहायक न्यायाधीश कार्यवाही गय इन्डियायल्स जज कैंडा (सीतवाब)	नम्बर : अहवाल हुकम व मे ज
26/18 दू:के र दू:के र त.ज.र	301/17 जाद पत्रावली अज ब्रेमप इलीमथ पर पेश हुई। उम्मादक्ष उपस्थित उम्मादक्ष को दिव्यार पूर्वक सुनाया वारी का बयान है कि ग्राम इलीमथा बी.आ.नं 01003 एवं 1004 वित्त 2 रकवा 8-08 बीप्या भूमि उत्तके दो अन्य भाइयों के साथ एक हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड भी जि.ए.का स 2/989 में विभाजन राजीनामों के आधार पर एवं तत्कालीन पटवारी द्वारा बंटवाडा पुस्तक तैयार करने पर सहमति के आधार पर बंटवाडा किया जाकर स्वो वर्ष 1989 दर्ज रेकार्ड का दिमा गमना यह बंटवाडा उत्तर परिणत जिसकी जानकारी वारी आदिशित होने से नकल बंटवाडा पुस्तक लखी लखी वारी वारी में बंटवाडा पूर्व से परिचय पटवारी है। राज्य पक्ष एवं जमींदारी का कथन है कि एक वा (भापरी) सहमति व्यक्त किम जाने के परन्तु कानूनन वारी एवं में सहमति के किम जपे बंटवारे के आदेश को व्याप युना ही इस व्यापलय में नही दे सकते। ही मैंने उम्मादक्षी बटवारे	

न्यायालय उपखंड नं: 17  
पदेन सहायक कमिश्नरवाली मय इनिशियल्स जज  
कोर्ट (पीलवाडा)

20/08/17

नाम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

मन कि पाएवं पञ्जावली पा  
इसल बय रेकार्ड का इवामोवन  
किपा गफा न्यायालय का स्पल  
अममत है कि आपसी सहमति  
से किधे गये बंटवारे में इसलिय  
कहने का कोई कोस आपलार  
नही रह जाता है नारीयार  
1989 में बंटवारे से सहमत  
नही लगे वर सहमत न्यायालय  
में अपील / अपारदर्शी प्रेह  
करने के लिये स्थापित है  
अपरे क्वे वित्त चन के अध्या  
प वारी का वाद पम पाके  
सब निगमनागत नही होने  
से शरारि पर किधे जाने  
के आदेशा उदान किधे  
जाते हैं। पालनाथ तकरवारे  
को लिलेवा जोवे लइनुसा  
डिकी मुले क. हरे। पञ्जावली ज  
रजि स्ट्र कम होकर फलम  
शुमाए हो।

किधे आज दिनांक के  
सुनाया गया।

उपखंड न्यायालय जज  
सहायक कमिश्नर कोर्ट

मूलवाद में डिक्री  
( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....  
( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट )

पीठासीन अधिकारी :- .....

व्यक्ति का नाम (वनवान) .....  
व्यक्ति का नाम (बनाम) .....  
दावा या बत .....  
वाक्य वाक्य वाक्य वाक्य वाक्य वाक्य

मुकदमा नम्बर :- 30/17 रा. वा.

निर्णय दिनांक :- 24/6/18

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से .....

की उपस्थिति में इस याद में आज तारीख 24/6/18 को ..... (पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी ..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया

जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादी को वाक्य पत्र पोषणीय एवं निरुत्पन्न कर  
जो है होने से खारिज कर दिया जाना है।  
सदान्ति में जाना है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(.....)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

याद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	)	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	)
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

हंशोत्पत्ति-संवात

००५५ क.प्राण बल्लु वाना रले शानि ० ५६ मम  
हाम सुभाष नगा (सी मवाग) (वरी)

बन/म

1. गोप (महिं ह वल्प) शानि शानि दरोमा नि ५६ मम
2. श्री शिवाहिं ह १ शानि शानि दरोमा
3. श्रीमते सापरी बेवा शानि शानि दरोमा
4. श्री मदन १० वाना दरोमा मुत २ वे विधि कि उत्तरी मम
- 5/1 श्रीमते क मम ५० मदन दरोमा
- 5/2 श्रीमते मीनादी ५० शानि शानि दरोमा (वरी)
- 5/3 श्रीमते लमीला ५० राजकुमार दरोमा नि ०
- 5/4 श्रीमते शानि पुम मदन दरोमा नि ० ५६ मम
5. तहसीलदार मंगल हाम वरी )